

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 1350

दिनांक - 18/08/19

प्रार्थी
1 भैराराम पुत्र खेताराम
जाति जाट निवासी
सरली कला, सरली
तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 सुखराम पुत्र मानाराम 2 मंगनाराम पुत्र वरंजागाराम 3
भीखाराम पुत्र हरजीराम 4 लालाराम पुत्र भीयाराम 5 रेखाराम
पुत्र खेताराम 6 ताजाराम पुत्र लिछमणाराम 7 वीरमाराम पुत्र
तुलछाराम 8 धनाराम पुत्र करनाराम 9 प्रहलादराम पुत्र
चुतराराम जाति जाट निवासी सरली कला, सरली तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 157/2019

दिनांक- 14.6.19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरली कला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 182 रकबा 14.07 बीघा, खसरा संख्या 720/180 रकबा 17.19 बीघा व
खसरा संख्या 727/184 रकबा 13.03 बीघा कुल रकबा 45.09 बीघा भूमि के चारो तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.
1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 18/08/19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1351-54

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खैराराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी सरली कला, सरली तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी सुखराम पुत्र मानाराम वगैराह जाति जाट निवासी सरली कला, सरली तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर